

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

गणेशराम पुत्र कूपाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी-सिन्दरथ, तहसील व जिला-सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरौही, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 28/2018

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरौही), प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :-


दिनांक 06 मार्च, 2018


(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 53/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.2.2018 बाबत ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 990 रकबा 0.32 हेक्टेयर किस्म गै.मु. पत्थर भूमि का अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं किया है एवं न ही अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित हुये बिना ही सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि के मौके पर से कब्जा हटा लिया है एवं मौके पर अब अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है, इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया हल्का पटवारी, धान्ता द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2074 में उक्त राजकीय भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर

.....पेज दो पर

  
श्री. आशाराम डूडी  
जिला कलेक्टर



प्रदान किया गया है। प्रकरण में बाद जांच अपीलार्थी का उक्त राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, धान्ता द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2074 में ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 990 रकबा 0.3200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. पत्थर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है, परन्तु अपीलार्थी पक्ष का कथन है कि "अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि के मौके से कब्जा हटा लिया है।"

इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा दिया जाने व मौके पर कब्जा नहीं होने बाबत अपीलार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट नायब तहसीलदार, सिरोही से तलब की गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/एन.टी.कोर्ट/2018/124 दिनांक 05.3.2018 के संलग्न हल्का पटवारी, धान्ता एवं भू अभिलेख निरीक्षक, कृष्णगंज की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.2.2018 प्राप्त हुई। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.2.2018 के अनुसार अतिक्रमी ने अतिक्रमित भूमि से कब्जा स्वतः ही हटा दिया गया है व भूमि मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी के विरुद्ध नरमाई का रुख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही के निर्णय दिनांक 05.2.2018 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही